[2018] 6 एस.सी.आर. 1050

विनूभाई रणछोड़भाई पटेल

बनाम

राजीवभाई दूदाभाई पटेल और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1525/2009)

16 मई 2018

[जे. चेलामेश्वर और संजय किशन कौल, न्यायमूर्तिगण]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अध्याय XVII - उपधारा 211, 212 और 213 - आरोपों का दोषपूर्ण निर्धारण - आरोपी व्यक्तियों को बरी करना, यदि अनुमति हो तो हस्तक्षेप करना-17 व्यक्तियों के हमले में कथित तौर पर तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई - और पांच व्यक्ति घायल हो गए - सत्र न्यायालय ने 4 को दोषी ठहराया आरोपी, जबकि शेष 13 आरोपियों को बरी कर दिया गया - विभिन्न आरोपियों को बरी करने के खिलाफ राज्य की अपील, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: जिस मामले में तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, उसमें धारा 302 के तहत आरोप तय किया जाना चाहिए था- प्रत्येक मृतक के संबंध में विशेष रूप से नामित आरोपियों के खिलाफ - हालांकि, कोई स्पष्ट आरोप तय नहीं किए गए थे - आरोपियों को कानून में यह जानने का अधिकार है कि किस आरोप पर उन पर मुकदमा चलाया गया है - इसके अलावा, चूंकि अभियोजन पक्ष ने धारा 149 लागू की, इसलिए आरोप लगाए गए -यह निर्दिष्ट करते हुए तैयार किया जाना चाहिए था कि किस आरोपी को धारा 149 आईपीसी की सहायता से किस अपराध के लिए दंडित करने की मांग की गई थी-सत्र न्यायालय ने विधि विरुद्ध सभा के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किए - न ही इसके संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष था सभा का सामान्य उद्देश्य - उच्च न्यायालय आरोप तय करने में ऐसे दोषों पर ध्यान देने में विफल रहा, हालांकि, अन्य बातों के साथ-साथ मामले में आरोपी व्यक्तियों को बरी करने के फैसले को इस आधार पर उलट देना उचित नहीं होगा कि आरोप तय करना गलत है। - आम तौर पर, इसका परिणाम एक नया मुकदमा होना चाहिए, लेकिन अपराध की घटना के 26 साल बीत जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि कुछ अभियुक्तों की मृत्यु बीच में ही हो गई - अपराध के पीड़ित इस मामले में सार्वजनिक कानून क्षति के पंचाट द्वारा मुआवजा दिया जाना आवश्यक है - प्रत्येक मृतक के परिवार को राज्य द्वारा 25,00,000/- रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए और घायल गवाहों को, यदि अभी भी जीवित हैं, अन्यथा उनके परिवारों को रु.10,00,000/- प्रत्येक का भुगतान किया जाए। - दंड संहिता, 1860 उपधारा 302, 149, 141, 143, 146-148, 307, 323 और 326-बॉम्बे पुलिस अधिनियम- धारा 135- भारत का संविधान अनुच्छेद.21 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 33 - परोक्ष दायित्व का सिद्धांत।

दंड संहिता, 1860, धारा 141 विधि विरुद्ध जमावड़ा - चर्चा के तत्व।

दंड संहिता, 1860 धारा 149 का दायरा और आयाम - चर्चा की गई।

दंड संहिता, 1860-धारा.146-148- के अंतर्गत अपराध-बीच के भेद- चर्चा की गई।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत तय किए गए 'मुद्दे', सीआरपीसी, 1973 के तहत तय किए गए 'आरोपों' से भिन्न चर्चा - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तारण करते हुए

अभिनिर्धारित किया गया: 1.1 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 211 से 213 उन विवरणों से संबंधित है जो एक आपराधिक मुकदमे में आरोप में शामिल होने के लिए आवश्यक हैं। ये प्रावधान एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं जिसके द्वारा किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए- भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आदेश की आवश्यकता के अनुपालन में एक प्रक्रिया के तहत। अभियुक्तों को कानून में सटीक रूप से यह जानने का अधिकार है कि वह कौन सा आरोप है जिसके तहत उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। [पैरा 15][1061-ए-बी]

1.2 उस मामले में जहां कथित तौर पर सभी आरोपियों के हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए, प्रत्येक मृतक के संबंध में विशेष रूप से नामित आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत तीन मामलों में आरोप तय किया गया होगा। तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की मृत्यु करना या पाँच व्यक्तियों में से प्रत्येक को चोट पहुँचाना एक अलग अपराध है। यह भी आवश्यक है कि अदालत को नामित मृतक की मृत्यु के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी के अपराध के बारे में एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए। यदि तीन अलग-अलग मृतकों की मौत का कारण बनने के लिए अलग-अलग आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाता है, तो अलग-अलग आरोप तय किए जाने चाहिए, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि तीन अलग-अलग मृतकों में से किस आरोपी की मौत का आरोप लगाया गया है। अंततः किसी भी आरोपी को आईपीसी की धारा 302 और धारा 149 आईपीसी के साथ पढ़े गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से दोषी नहीं पाया गया। किसी ग़लत या अनियमित या यहां तक कि किसी विशिष्ट आरोप की अनुपस्थिति अदालत द्वारा दर्ज की गई सजा को तब तक अमान्य नहीं करेगी जब तक कि अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि वास्तव में इस प्रकार इस अवसर पर न्याय की विफलता हुई है। [पैरा 13, 16 और 18][1061-ई-एच: 1062-ए, डी-ईजे

1.3 ऐसे मामलों में जहां बड़ी संख्या में अभियुक्तों पर विधि विरुद्ध जमाव बनाकर एक या अधिक व्यक्तियों पर हमला करने और उन्हें मारने का आरोप है, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक अभियुक्त को घातक चोटें या कोई चोट पहुंचानी चाहिए। ऐसे मामलों में ऐसी विधि विरुद्ध सभाओं के सदस्यों को पारस्परिक दायित्व के आधार पर दंडित करने के लिए आईपीसी की धारा 149 का प्रयोग आवश्यक है, भले ही उन पर उचित मामलों में घातक चोट पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया गया हो, यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य सही साबित होते हैं, तो भी ऐसे 'विधि विरुद्ध जमावड़े' में किसी आरोपी की मौजूदगी ही उसे हमले के पीड़ित की मौत के लिए आईपीसी की धारा 149 के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते कि आरोपियों को बताया जाए कि उन्हें परोक्ष रूप से आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए धारा 149 आईपीसी के तहत उत्तरदायी होने आरोप का सामना करना होगा। । धारा 149 को उचित रूप से लागू करने और लागू करने में विफलता बड़ी संख्या में अपराधियों को अपराध से बच निकलने में सक्षम बनाती है। [पैरा 19][1062-ई-जी]

1.4 आईपीसी की धारा 141, 146 और 148 अलग-अलग अपराध बनाती हैं। धारा 149 केवल परोक्ष दायित्व उत्पन्न करती है। हालाँकि, धारा 146, 148 और 149 में परोक्ष दायित्व के सिद्धांत पर आधारित कुछ विधायी घोषणाएँ शामिल हैं। किसी भी प्रावधान के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होने के लिए, मूलभूत आवश्यकता एक विधि विरुद्ध सभा का अस्तित्व है, जैसा कि धारा 141 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे आईपीसी की धारा 143 के तहत दंडनीय बनाया गया है। विधि विरुद्ध सभा की अवधारणा के दो तत्व हैं- (i) सभा होनी चाहिए जिसमे कम से कम पाँच व्यक्ति शामिल हों; (ii) उनके पास अपराध करने या उसमें बताए गए उद्देश्यों में से किसी एक को हासिल करने का एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। [पैरा 27,28][1066-डी-जी]

1.5 निष्कर्ष दर्ज करने के लिए, कि कोई व्यक्ति (i) धारा 143, 146 या 148 के तहत किसी एक अपराध का दोषी है या (ii) किसी अन्य अपराध के लिए धारा 149 के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी है, पहले यह साबित करना होगा कि ऐसा व्यक्ति है इस तथ्य की परवाह किए बिना कि पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक की पहचान साबित हुई है या नहीं, एक 'विधि विरुद्ध सभा' का सदस्य जिसमें कम से कम पांच व्यक्ति हों। यदि यह तथ्य साबित हो जाता है, तो जांच का अगला चरण यह है कि क्या विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य आईपीसी की धारा 141 के तहत निर्दिष्ट वस्तुओं में से एक है। सभा का सामान्य उद्देश्य आम तौर पर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए जैसे कि सभा की सभा का समय और स्थान, व्यक्तिगत सदस्यों के आचरण से अलग सभा का आचरण सभा के सामान्य उद्देश्य का सूचक है । किसी सभा के सामान्य उद्देश्य का आकलन केवल सभा के ऐसे व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा किए गए प्रकट कृत्यों के आधार पर करना अस्वीकार्य है। उदाहरण के लिए, यदि पांच से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और किसी अन्य व्यक्ति पर घातक हथियारों से हमला करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि ऐसी सभा के एक या कुछ सदस्यों ने उन लोगों के साथ साझा उद्देश्य साझा नहीं किया था। घातक

चोटें पहुंचाई थीं (जैसा कि चिकित्सा साक्ष्य से साबित हुआ); केवल इस आधार पर कि ऐसे सदस्यों द्वारा पहुँचाई गई चोटें अपेक्षाकृत कम गंभीर और गैर-घातक हैं। [पैरा 29,30][1066-जी-एच; 1067-ए-डी]

2. सत्र न्यायालय का उद्देश्य 'मुद्दों' को तय करना था - जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य एक प्रथा है। लेकिन, यह बताया गया है कि गुजरात राज्य में आपराधिक मामले की सुनवाई में भी "मुद्दे" बनाने की प्रथा प्रचलित है। "मुद्दे" "आरोप" के समान नहीं हैं। मुकदमा शुरू होने से पहले उन्हें फंसाया नहीं जाता। निर्णय लिखने के समय ही उनकी 'पहचान' की जाती है। सत्र न्यायाधीश द्वारा तय किए गए मुद्दा संख्या 2 और 4 आईपीसी के तहत विधि विरुद्ध सभा, दंगा और पारस्परिक दायित्व के अपराध के संबंध में हैं। अंक संख्या 2 विधि विरुद्ध सभा और दंगे के अपराधों के संदर्भ में मुकदमा चलाने वाले सभी अभियुक्तों का संदर्भ देता है। मुद्दा संख्या 4 आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी गई धारा 302 के तहत अपराधों के संदर्भ में "सभी आरोपियों" का संदर्भ नहीं देता है। चूंकि अभियोजन पक्ष ने धारा 149 का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह निर्दिष्ट करते हुए आरोप तय किए जाने चाहिए थे कि धारा 149 की सहायता से किस आरोपी को किस अपराध के लिए दंडित करने की मांग की गई थी। सत्र न्यायालय के फैसले से, कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है (i) जैसा कि किसी विधि विरुद्ध सभा के अस्तित्व के बारे में, (ii) यदि वह मौजूद थी, तो विधि विरुद्ध सभा में कितने (सदस्यों की संख्या) मौजूद थे। आईपीसी की धारा 143 के तहत अपराध घटित करने का आरोप प्रतीत होता है। इस बात का कोई पता नहीं चल पाया कि सभा में 17 सदस्य थे या उससे कम (संख्या में) और 17 आरोपियों में से कौन सभा में मौजूद थे (पहचान)। न ही इसके संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने आया कि सभा का सामान्य उद्देश्य क्या था। परिणामस्वरूप, सत्र न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया कि क्या धारा 143 के तहत दंडनीय विधि विरुद्ध सभा का अपराध सभी या कुछ आरोपियों द्वारा किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148 के तहत सजा दर्ज की। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या अभियुक्तों को बताया गया था कि उन्हें विधि विरुद्ध सभा के सदस्य होने के आरोप का सामना करना पड़ेगा, जिसका सामान्य उद्देश्य तीन मृतकों की हत्या करना था। [पैरा 33,36][1067-एच; 1068-ए-बी, एच; 1069-ए-जी]

3. मौजूदा मामले में बरी किए जाने के फैसले को इस आधार पर पलटना उचित नहीं होगा कि (i) आरोप तय करना बेहद गलत था और सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं था; या (ii) नीचे की अदालतें उन विभिन्न अपराधों के संबंध में उचित निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आरोपियों ने अपराध किया था; या (iii) ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के फैसले को पलटने से इनकार करने में अपीलीय अदालत का तर्क दोषपूर्ण था। उपरोक्त सभी कारणों से, एक निष्कर्ष दर्ज किया जाना चाहिए था कि मामले में न्याय की विफलता है या तो पीड़ितों के नजरिए से देखा जाए या यहां तक कि दोषी ठहराए गए आरोपियों के नजरिए से भी। इसके बाद सबसे सामान्य परिणाम नए सिरे से सुनवाई का आदेश देना चाहिए था, लेकिन 26 साल के अंतराल के बाद इस तरह की कार्रवाई की गई। अपराध के घटित

होने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि कुछ अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है। प्रत्येक मृतक के परिवार को सार्वजनिक कानून क्षति के पंचाट से मुआवजा दिया जाना चाहिए और राज्य द्वारा 25,00,000/- रुपये प्रत्येक का भुगतान किया जाना चाहिए और घायल गवाह, यदि अभी भी जीवित हैं, अन्यथा उनके परिवारों को 10,00,000/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। [पैरा 39, 43, 44] [1071-ई-जी; 1073 -ई-जी;1074-ए-बी]

शंभू नाथ सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एआईआर 1960 एससी 725; ईशर सिंह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) 11 एससीसी 585 [2004] 2 एससीआर 1180; मसल्टी बनाम यूपी राज्य एआईआर 1965 एससी 202: [1964] एससीआर 133; दलबीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2004) 5 एससीसी 334; शिवाजी साहबराव बोबडे और अन्य। बनाम महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793: [1974] 1 एससीआर 489; नीलाबती बेहरा (श्रीमती) उर्फ ललिता बेहरा (सर्वोच्च न्यायालय विधि सहायता समिति के माध्यम से) बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (1993) 2 एससीसी 746: [1993] 2 एससीआर 581- पर निर्भर किया गया।

शिव महादेव सिंह बनाम बिहार राज्य (1970) 3 एससीसी 46; लालजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1989) 1 एससीसी 437: [1989] 1 एससीआर 130; बाला सीतारमैया बनाम पेरीके एस. राव (2004) 4 एससीसी 557: [2004] 3 एससीआर 28; राम गोप बनाम बिहार राज्य एआईआर 1969 एससी 689: [1969] एससीआर 558; यशवन्त एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य (1972) 3 एससीसी 639 [1973] 1 एससीआर 291; मंगा उर्फ मान सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य (2013) 7 एससीसी 629 [2013] 3 एससीआर 175; दलीप सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1953 एससी 364 [1955] एससीआर 393; सुंदर सिंह बनाम राज्य एआईआर 1955 सभी 232(एफबी); साबिर बनाम रानी महारानी (1894) आईएलआर 22 कैल 276; पुन: चोइतानो रांटो और अन्य एआईआर 1916 मैड 788 का संदर्भ लिया गया है।

<u>केस कानून संदर्भ</u>

एआईआर 1960 एससी 725 के पैरा 14 पर निर्भर किया गया।

(1970) 3 एससीसी 46 के पैरा 14 को संदर्भित किया गया।

[1989] 1 एससीआर 130 के पैरा 14 को संदर्भित किया गया।

[2004] 2 एससीआर 1180 के पैरा 17 पर निर्भर किया गया।

(2004) 5 एससीसी 334 के पैरा 18 पर निर्भर किया गया।

[2004] 3 एससीआर 28 के पैरा 20 को संदर्भित किया गया।

[1969] एससीआर 558 के पैरा 21 को संदर्भित किया गया।

[1973] 1 एससीआर 291 के पैरा 23 को संदर्भित किया गया।

[2013] 3 एससीआर 175 के पैरा 23 को संदर्भित किया गया।

[1955] एससीआर 393 के पैरा 23 को संदर्भित किया गया।

एआईआर 1955 सभी 232(एफबी) के पैरा 24 को संदर्भित किया गया।

(1894) आईएलआर 22 कैल 276 के पैरा 26 को संदर्भित किया गया।

एआईआर 1916 मैड 788 के पैरा 26 को संदर्भित किया गया।

[1964] एससीआर 133 के पैरा 26 पर निर्भर किया गया।

[1974] 1 एससीआर 489 के पैरा 42 पर निर्भर किया गया।

[1993] 2 एससीआर 581 के पैरा 44 पर निर्भर किया गया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या **1525/2009**

1996 की आपराधिक अपील संख्या 138 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 05.10.2004 से उत्पन्न।

साथ में,

सी.आर.एल. ए. संख्या 1526-1527/2009।

एस नागामुथु (एसी), सुश्री तरन्नुम चीमा (एसी), ए. सेल्विन राजा, अनिरुद्ध पी. मायी, अवनीश एम. ओझा, चिराग जैन, डी.एन. रे, सुश्री हेमन्तिका वाही, कु. विशाखा, आर. पी. वाधवानी, सुश्री. स्मृति सुरेश, कु. हिरल गुप्ता, उपस्थित पक्षों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय और आदेश चेलमेश्वर, जे. द्वारा दिया गया।

1. 11.07.1992 को, लगभग 10.10 बजे, नाना अंकाडिया गांव में एक घटना घटी जिसमें 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 5 व्यक्ति घायल हो गए। उच्च न्यायालय के निर्णय से ऐसा प्रतीत होता है:

"...घटना की जानकारी वायरलेस संदेश द्वारा अमरेली (ग्रामीण) पुलिस स्टेशन के पीएसओ द्वारा पीएसआई, श्री एनजी राजपूत को दी गई थी। उक्त सूचना के आधार पर, पीएसआई, राजपूत नाना अंकाडिया गांव गए थे और तीन शव भीकाभाई की दुकान के पास पड़े पाए गए थे और कुछ और जानकारी मिलने के बाद, वह अमरेली अस्पताल गए थे और वीनू रणछोड़ से शिकायत दर्ज की थी, जो 12.07.1992 को लगभग 1.30 बजे दर्ज की गई थी। उक्त शिकायत के आधार पर, पीएसआई, राजपूत ने बयान दर्ज करके, पंचनामा बनाकर और शवों को पोस्टमार्टम आदि के लिए भेजकर जांच शुरू की।"

2. जांच पूरी होने पर 15 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया क्योंकि बाकी दो आरोपी ए-16 और ए-17 कुछ समय से फरार थे। मामला अमरेली के सत्र न्यायालय को सौंपा गया था क्योंकि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय थे। सत्र वाद संख्या 118/1992 में 15 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चला। जहां तक दो फरार अभियुक्तों की बात है तो उनके पकड़े जाने के बाद भी बाकी के मुकदमे को अलग कर दिया गया और उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट, अमरेली के विशेष न्यायाधीश के समक्ष सत्र मामले संख्या 58/98 में अलग से मुकदमा चलाया गया।

3. सत्र वाद क्रमांक 118/1992 में सत्र न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.01.1996 में ए-1, ए-5, ए-10 की दोषसिद्धि दर्ज की गई और ए-12 इस प्रकार है:

"अभियोजन पक्ष ने आरोपी नंबर 10 और [12] क्रमशः नानजीभाई खोदाभाई और रतिलाल नागजी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 148 और बीपी अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत दंडनीय आपराधिक अपराध साबित कर दिया है, और इसलिए आरोपी नंबर 10 और 12 को आईपीसी की धारा 302, 148 और बीपी अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत दोषी ठहराया जाता है। आरोपी नंबर 1 रावजी डूडा को आईपीसी की धारा 326 और 148 और बी.पी. एक्ट का धारा 135(1) के तहत दंडनीय आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। जबकि आरोपी नंबर 5 मनुभाई माकनभिया को आईपीसी की धारा 326, 323 और 148 और बी.पी. एक्ट की धारा 135 (1) के तहत दंडनीय आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। जबकि इन आरोपियों के अलावा अन्य आरोपी, अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं है इसलिए आरोपी संख्या 2,3,4,6,7,8,9,11,13,14 और 15 को संदेह का लाभ दिया जाता है और बरी कर दिया जाता है, और यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है, तो अभियुक्त संख्या 2,3,4,6,7,8,11,13,14 को न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए। अभियुक्त संख्या 2,4,9 और 15 को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, उनके जमानत बांड रद्द करने का आदेश दिया जाता है।"

और दिनांक 17.01.1996 के अलग आदेश द्वारा, ए-10 और ए-12 को धारा 302 भारतीय दंड संहिता [इसके बाद "आईपीसी" के रूप में संदर्भित] के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई; आईपीसी की धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का कठोर कारावास; और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135(1) [इसके बाद इसे "बीपी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा] के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने का कठोर कारावास।

4. ए-1 को धारा 326 आईपीसी के तहत अपराध के लिए छह वर्ष के कठोर कारावास और 1000/-रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई और धारा 148 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक साल का कठोर कारावास और बीपी अधिनियम की धारा 135 (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

5. ए-5 को धारा 326 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई और धारा 148 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक साल कठोर कारावास, धारा 323 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए छह महीने कठोर कारावास और बीपी अधिनियम के धारा 135(1) के तहत अपराध के लिए छह महीने की कठोर कारावास सजा सुनाई गई।

6. सभी दोषी अभियुक्तों ने पहले अपील संख्या 166/1996 दायर की गुजरात उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा को चुनौती दी। गुजरात राज्य सरकार ने शेष तेरह आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील संख्या 167/1996 दायर की। यहां यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि मूल शिकायतकर्ता ने ग्यारह आरोपियों को बरी करने के सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 138/1996 भी दायर की थी।

7. दो फरार अभियुक्त नं. 16 और 17 पर आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 147, 148, 120 बी, 302 और 307 के तहत और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (ए) और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सत्र वाद संख्या 58/98 में अलग-अलग मुकदमा चलाया गया।" फास्ट ट्रैक कोर्ट, अमरेली द्वारा दिनांक 19.07.2003 के निर्णय द्वारा उन्हें दोषी नहीं पाया गया। गुजरात राज्य ने अभियुक्तों संख्या 16 और 17 को बरी करने के खिलाफ आपराधिक अपील संख्या 1226/2003 दायर की।

8. सभी अपीलों और पुनरीक्षण को एक साथ जोड़ दिया गया और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5.10.2004 के एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटारा किया गया, जो हमारे समक्ष विभिन्न अपीलों का विषय है।

9. ए-10 और ए-12 की अपील हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। अभियुक्त संख्या 1 और 5 की अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। विभिन्न आरोपियों की बरी किए जाने को चुनौती देने वाली राज्य की अपीलें वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा दायर किए गए पुनरीक्षण के साथ खारिज कर दी गईं। इसलिए, ये अपीलें, राज्य और वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा की गई।

10. माना कि सभी दोषी अब तक अपनी सजा काट चुके हैं। कुछ आरोपियों की मौत भी हो चुकी है।

11. इन अपीलों के रिकॉर्ड की जांच ने हमें संकट में डाल दिया। सत्र न्यायालयों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निर्णय भी अपेक्षा से परे हैं।

12. हम सत्र न्यायालय के फैसले से निम्नलिखित उल्लेखनीय विशेषताएं देखते हैं:

(i) सीआरपीसी की आवश्यकताओं के अनुसार आरोप तय नहीं किए गए हैं;

(ii) ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 148 आईपीसी के तहत एक अपराध के लिए 4 आरोपियों पर आरोप लगाया गया है (हालांकि दोषपूर्ण तरीके से तय किया गया है), दोषसिद्धि की गई है और सजा सुनाई गई है;

(iii) सर्वव्यापी आरोप है कि आरोपी ने धारा 143, 147, 148 और परोक्ष रूप से धारा 302 आईपीसी के अपराध के लिए धारा 149 आईपीसी के आधार पर उत्तरदायी है;

(iv) फैसले में कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं है:

(ए) 'विधि विरुद्ध जमावड़े' के अस्तित्व के संबंध में यानी आईपीसी की धारा 143 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप के संबंध में;

(बी) मृतकों और घायलों पर हमले में भाग लेने वाले व्यक्तियों (पहचान गए या नहीं) की संख्या; या

(सी) ऐसे प्रतिभागियों की पहचान।

(v) 3 मृतकों में से एक की पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य के संबंध में निर्णय पूरी तरह से मौन है। इसमें केवल उस डॉक्टर के साक्ष्य की चर्चा है जिसने दो मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम किया था;

(vi) फैसले में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि क्या आरोपी 10 और 12 सभी 3 मृतकों या उनमें से एक की मौत का दोषी हैं;

(vii) परोक्ष दायित्व के प्रश्न के संदर्भ में कानूनी विश्लेषण और साक्ष्य की सराहना पूरी तरह से अप्रासंगिक है और कानून के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार नहीं है; और

(viii) यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री है कि लेन-देन में कुछ आरोपियों को चोटें भी आईं, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है जो यह दर्शाती हो कि क्या कोई अपराध दर्ज किया गया है और जांच की गई है या उस संबंध में किसी पर मुकदमा चलाया गया है।

13. सत्र मुकदमा संख्या 118/1992 में फैसला मिनीबस स्टेटमेंट से शुरू होता है:

"इस मामले में वर्तमान आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 307, 324, 147, 148, 149, 120 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) (एए) और बॉम्बे की धारा 135 के तहत आरोप हैं। पुलिस अधिनियम के तहत इन अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया जाता है।

बाद में उसी पैराग्राफ में कहा गया है:

"मामले में पंद्रह आरोपी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए हैं, मेरे विद्वान पूर्ववर्ती ने 21/3/1994 को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 30 के साथ सपठित धारा 149, 120-बी, 307 के साथ पठित 147, 114, 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के आरोप लगाए थे और अभियुक्त क्रमांक 7, 8 और 11 के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत आरोप और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय है, और हथियार ले जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अमरेली द्वारा अधिसूचना का उल्लंघन करने का आरोप है, जिसके लिए आरोपियों के खिलाफ संख्या 2,4,9,15,10,12,13, 1, 3, 6, 7 और 8 बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 135 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप, आरोपियों के खिलाफ आरोप सुनाए गए।"

उपरोक्त से ऐसा प्रतीत होता है कि कोई स्पष्ट आरोप तय नहीं किया गया है। किसी भी दर पर, बार-बार पूछताछ के बावजूद न्यायालय द्वारा तय किए गए आरोपों को दर्शाने वाला कोई दस्तावेज़ हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। यह याद रखना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जहां कथित तौर पर सभी आरोपियों के हमले में तीन लोगों की मौत हो गई और पांच लोग घायल हो गए। तीन व्यक्तियों में से प्रत्येक की मृत्यु करना या पाँच व्यक्तियों में से प्रत्येक को चोट पहुँचाना एक अलग अपराध है। इसी तरह, धारा 307 के तहत अपराध किसी विशेष पीड़ित के लिए एक विशिष्ट अपराध है। धारा 147 और 148 के तहत अपराध अलग-अलग अपराध हैं। आईपीसी की धारा 149 एक अलग अपराध नहीं बनाती बल्कि कुछ परिस्थितियों में विधि विरुद्ध जमावड़े के सभी सदस्यों के प्रतिवर्ती दायित्व की घोषणा करती है।

14. शंभू नाथ सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया था:

"भारतीय दंड संहिता की धारा 149 एक विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों के उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए कार्यों के लिए या ऐसे अपराधों के लिए प्रतिवर्ती दायित्व की घोषणा करती है, जैसा कि विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों को पता था कि ऐसा होने की संभावना उस वस्तु के अभियोजन में प्रतिबद्ध है"

[जोर दिया गया]

हालाँकि, कम संख्या वाली पीठें हैं जिन्होंने देखा है कि धारा 149 एक विशिष्ट और विशिष्ट अपराध बनाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शंभू नाथ सिंह मामले में निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा दिया गया था, उसमें घोषित कानून को सही कानूनी स्थिति घोषित करने वाला माना जाना चाहिए। अत्यंत सम्मान के साथ, हम यह भी जोड़ सकते हैं कि यह धारा 149 की भाषा और उसके संदर्भ को ध्यान में रखते हुए क़ानून की व्याख्या के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप है।

15. आपराधिक प्रक्रिया संहिता का अध्याय XVII [इसके बाद ए को "सीआरपीसी" के रूप में संदर्भित किया गया है] एक आपराधिक मामले में "आरोपों" से संबंधित है। धारा 211 से 213 उन विवरणों से संबंधित हैं जो एक आपराधिक मुकदमे में आरोप में शामिल होने के लिए आवश्यक हैं। ये प्रावधान एक निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं जिसके द्वारा किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए- जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के आदेश की आवश्यकता के अनुपालन में एक प्रक्रिया है। अभियुक्तों को कानून में सटीक रूप से यह जानने का अधिकार है कि वह कौन सा आरोप है जिसके तहत उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है। यह इस न्यायालय द्वारा ईशर सिंह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में अभिनिर्धारित किया गया था":

"यह किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आरोप का सटीक सूत्रीकरण है, जो प्रारंभिक चरण में इसकी प्रकृति को जानने का हकदार है। आरोप कोई आरोप नहीं है या संक्षेप में दी गई जानकारी नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाया गया आरोप है इसे रोकने या आदेश देने वाले दंडात्मक कानून का उल्लंघन करते हुए किया गया या छोड़ा गया कार्य। दूसरे शब्दों में, यह किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में लगाया गया आरोप है। जांच के बाद आरोप तैयार किया जाता है, जैसा कि इससे अलग है इस शब्द का लोकप्रिय अर्थ आईपीसी की धारा 224 में इस्तेमाल किए गए कथित अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना है।"

[जोर दिया गया]

16. उस मामले में जहां तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, प्रत्येक मृतक के संबंध में विशेष रूप से नामित आरोपियों के खिलाफ आईपीसी के धारा 302 के तहत तीन मामलों में आरोप तय किया गया होगा। तर्क के लिए यह मानते हुए कि सभी 17 व्यक्तियों पर तीन मृतकों में से प्रत्येक की मृत्यु का आरोप है, प्रत्येक मृतक के संबंध में अलग-अलग आरोप तय किए जाने चाहिए थे। यह भी आवश्यक है कि अदालत को नामित मृतक की मृत्यु के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी के अपराध के बारे में एक विशिष्ट निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए। यदि तीन अलग-अलग मृतकों की मौत का कारण बनने के लिए अलग-अलग आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाता है, तो अलग-अलग आरोप तय किए जाने चाहिए, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि तीन अलग-अलग मृतकों में से किस आरोपी की मौत का आरोप लगाया गया है। आरोप यह भी स्पष्ट रूप से साबित होने चाहिए कि किस आरोपी पर धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है या कौन से आरोपी तीन मृतकों में से एक या अधिक की मौत के लिए आईपीसी की धारा 149 के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। निःसंदेह, कोई भी आरोपी अंततः आईपीसी की धारा 302 के साथ धारा 149 आईपीसी के तहत अपराध का परोक्ष रूप से दोषी नहीं पाया गया।

17. धारा 147 और 148' के अंतर्गत आने वाले अपराधों की परिभाषा के अनुसार, इन अपराधों की प्रकृति के कारण किसी व्यक्ति पर दोनों अपराधों के लिए एक साथ आरोप नहीं लगाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को केवल धारा 147 या धारा 148 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है।

18. दलबीर सिंह बनाम यूपी राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा दोषपूर्ण आरोप तय करने या आरोपों में चूक के कानूनी परिणामों पर विचार किया गया था और इस न्यायालय ने इस प्रकार माना था:

"संहिता की धारा 464 आरोप तय करने में चूक, या अनुपस्थिति, या त्रुटि के प्रभाव से संबंधित है। इस धारा की उप-धारा (1) में प्रावधान है कि सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा कोई निष्कर्ष, सजा या आदेश नहीं दिया जाएगा। केवल इस आधार पर कि कोई आरोप तय नहीं किया गया था, या आरोप में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर, जिसमें आरोपों का गलत संयोजन भी शामिल है, अमान्य माना जाएगा, जब तक कि अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण अदालत की राय में, न्याय की विफलता न हो, वास्तव में ऐसा अवसर आया है।"

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि एक गलत या अनियमित या यहां तक कि किसी विशिष्ट आरोप की अनुपस्थिति अदालत द्वारा दर्ज की गई सजा को तब तक अमान्य नहीं करेगी जब तक कि अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती कि वास्तव में न्याय की विफलता हुई है।

19. ऐसे मामलों में जहां बड़ी संख्या में आरोपियों ने "विधि विरुद्ध जमावड़ा" बनाकर एक या एक से अधिक व्यक्तियों पर हमला किया और उन्हें मार डाला, यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक आरोपी को घातक चोटें या कोई चोट पहुंचानी चाहिए। धारा 149 का आह्वान ऐसे मामलों में ऐसी विधि विरुद्ध सभाओं के सदस्यों को पारस्परिक दायित्व के आधार पर दंडित करने के लिए धारा 149 आवश्यक है, भले ही उन पर उचित मामलों में घातक चोट पहुंचाने का आरोप नहीं लगाया गया हो, यदि रिकॉर्ड पर साक्ष्य सही साबित हो। 'विधि विरुद्ध जमावड़ा' उसे हमले के पीड़ित की मौत के लिए आईपीसी की धारा 149 के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाने के लिए पर्याप्त है, बशर्ते कि आरोपियों को बताया जाए कि उन्हें एक आरोप का सामना करना होगा जो उन्हें धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आईपीसी की धारा 149 के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी बनाता है। धारा 149 को उचित रूप से लागू करने और लागू करने में विफलता बड़ी संख्या में अपराधियों को अपराध से बचने में सक्षम बनाती है।

20. बाला सीतारमैया बनाम पेरीके एस. राव' में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"8. दुर्भाग्य से, सत्र न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय नहीं किया। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रासंगिक अभियोजन आरोप ताकि अपराध की सामग्री सामने आ सके आईपीसी की धारा 302 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 149 आईपीसी के तहत दंडनीय प्रावधानों को भी सत्र न्यायाधीश द्वारा तय किए गए आरोप में शामिल नहीं किया गया था। अभियुक्तों को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें विधि विरुद्ध सभा के सदस्य होने के आरोपों का सामना करना पड़ा था और ऐसी सभा का सामान्य उद्देश्य मृतक की हत्या थी और उस सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हत्या की गई और इस प्रकार उन पर रचनात्मक दायित्व था और इस प्रकार उन्होंने धारा 302 आईपीसी के साथ धारा 149 आईपीसी के साथ पढ़ा जाने वाला दंडनीय अपराध किया। बेशक धारा 149 का उल्लेख करने की चूक हो सकती है इसे एक अनियमितता माना जाता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति का उल्लेख करने में विफलता को मात्र अनियमितता नहीं कहा जा सकता है। यदि यह गलती सुनवाई के चरण में देखी गई होती, तो सत्र न्यायाधीश फैसले को निर्गत करने से पहले किसी भी समय आरोप को सही कर सकते थे। मौजूदा मामले में, आरोपियों को सरल धारा 302 के तहत दंडनीय आरोप का सामना करने के लिए कहा गया था और धारा 149 आईपीसी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 आईपीसी के तहत कोई आरोप नहीं था। इसलिए, आईपीसी की धारा 326 के तहत अभियुक्तों की दोषसिद्धि को उलटना और धारा 302/149 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धि को प्रतिस्थापित करना संभव नहीं है क्योंकि ऐसे अपराध के लिए उनके खिलाफ कोई आरोप तय नहीं किया गया था।"

21. जब बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और कोई अपराध करते हैं, तो यह संभव है कि सभा के केवल कुछ सदस्य ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिससे लेन-देन अपराध हो जाता है और शेष

सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। 'महत्वपूर्ण कार्य' - उदाहरण के लिए हत्या के मामले में, घातक चोट पहुँचाना। यह उन स्थितियों में है, विधायिका ने विधायी नीति के तहत अपराध के लिए परोक्ष दायित्व की अवधारणा को लागू करना उचित समझा।

(2004) 4 एससीसी 557, पैरा 8. 'राम गोप बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1969 एससी 689 पैराग्राफ 5: "... जब पीड़ित पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों द्वारा ठोस हमला किया जाता है तो अक्सर प्रत्येक अपराधी द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका का निर्धारण करना मुश्किल होता है। लेकिन उस खाते पर सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में विधि विरुद्ध सभा के सदस्य द्वारा किए गए अपराध के लिए या किसी ऐसे अपराध के लिए जिसके अभियोजन में किए जाने की संभावना ज्ञात थी सामान्य उद्देश्य के, सदस्य साबित हुए व्यक्ति परिणामों से बच नहीं सकते उस कार्य को करने से उत्पन्न होना जो अपराध की श्रेणी में आता है।" आईपीसी की धारा 149 ऐसा ही एक प्रावधान है। यह समाज में शांति बनाए रखने और गलत काम करने वालों (जो अपराध करने में सक्रिय रूप से सहयोग करते हैं या सहायता करते हैं) को इस आधार पर छूट का दावा करने से रोकने के लिए व्यापक सार्वजनिक हित में कल्पना की गई एक प्रावधान है कि विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों के रूप में उनकी गतिविधि सीमित है।

अभियोजन और/या न्यायालय की जिम्मेदारी (ऐसे मामले में जहां बड़ी संख्या में लोगों (5 या अधिक) पर सामूहिक रूप से विभिन्न अपराध करने और मुकदमा चलाने का आरोप लगाया गया है) - यह जांचने में कि क्या कुछ ऐसे समूह के सदस्य ऐसे समूह के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी हैं - इसके विश्लेषण की आवश्यकता है। इस तरह के विश्लेषण के दो घटक होते हैं- (i) धारा 149 के तहत निर्मित आयाम और प्रतिवर्ती दायित्व; और (ii) वे तथ्य जो किसी आरोपी को अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए साबित किए जाने आवश्यक हैं।

22. धारा 149 आईपीसी के वास्तविक दायरे और आयाम को समझने के लिए आईपीसी के अध्याय VIII (धारा 141 से 160) की योजना की जांच करना आवश्यक है जिसका शीर्षक "सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों का" है। धारा 141 से 158 5 या अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा सामूहिक रूप से किए गए अपराधों से संबंधित हैं।

23. धारा 141 आईपीसी पांच या अधिक व्यक्तियों की सभा को "विधि विरुद्ध सभा' घोषित करती है यदि ऐसी सभा का सामान्य उद्देश्य उक्त धारा में गिनाए गए पांच उद्देश्यों में से किसी एक को प्राप्त करना है।" गिनाए गए उद्देश्यों में से एक है कोई अपराध करना। धारा 141, खंड तीसरे "या अन्य अपराध" के अंतर्गत आने वाले शब्दों को केवल अतिचार या शरारत के छोटे अपराधों तक सीमित नहीं किया जा सकता है। ये शब्द भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के तहत आने वाले सभी अपराधों को कवर करते हैं।" ऐसी कानूनी रूप से अस्वीकार्य वस्तु के साथ 5 या अधिक व्यक्तियों की सभा ही आईपीसी की धारा

143 के तहत दंडनीय विधि विरुद्ध सभा का अपराध है। यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी सभा द्वारा किए गए किसी भी प्रकट कृत्य को धारा 143 के तहत दंडित किया जाए।

24. यदि किसी विधि विरुद्ध सभा या उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसी सभा के प्रत्येक सदस्य को धारा 146 के तहत दंगे के अपराध का दोषी घोषित किया जाता है, जिसमें धारा 147 के तहत दो साल की कैद की सजा हो सकती है। धारा 146 के तहत दंगा का अपराध गठित करने के लिए, बल या हिंसा के प्रयोग से जरूरी नहीं कि उपलब्धि हासिल की जाए। सामान्य उद्देश्य का।" दूसरे शब्दों में, बल प्रयोग या हिंसा के परिणामस्वरूप कोई अपराध होना या धारा 141 के तहत सूचीबद्ध पाँच सामान्य उद्देश्यों में से किसी एक की उपलब्धि होना आवश्यक नहीं है।

25. धारा 148 घोषित करती है कि घातक हथियारों से लैस होकर दंगा करना एक अलग अपराध है जिसके लिए लंबी अवधि की कैद (तीन साल) की सजा हो सकती है। धारा 146 और 148 के तहत अपराधों के बीच अंतर है। धारा 146 के तहत अपराध गठित करने के लिए, 'विधि विरुद्ध सभा' के सदस्यों को हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धारा 148 के तहत अपराध गठित करने के लिए, एक व्यक्ति को विधि विरुद्ध सभा का सदस्य होना चाहिए, ऐसी सभा धारा 146 के तहत दंगे के अपराध का भी दोषी है और जिस व्यक्ति पर धारा 148 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसके पास घातक हथियार भी होना चाहिए।

26. धारा 149 यह घोषणा करते हुए दो आकस्मिकताओं में एक परोक्ष दायित्व का प्रतिपादन करती है कि (i) यदि किसी विधि विरुद्ध सभा का कोई सदस्य उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में अपराध करता है, तो ऐसी विधि विरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य किए गए अपराध का दोषी है। विधि विरुद्ध सभा के अन्य सदस्यों द्वारा और (ii) ऐसे मामलों में भी जहां विधि विरुद्ध सभा के सभी सदस्य किसी विशेष अपराध को करने के लिए समान उद्देश्य साझा नहीं करते हैं, यदि उन्हें इस तथ्य का ज्ञान हो कि अन्य सदस्यों में से कुछ सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में उस विशेष अपराध को करने की संभावना है। आईपीसी की धारा 149 का दायरा मसाल्टी में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था:

"ऐसे मामले में निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभा में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 द्वारा निर्दिष्ट सामान्य उद्देश्यों में से एक या अधिक का मनोरंजन किया था। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या सभा में कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय गवाह थे और सभा में एक सदस्य के रूप में शामिल हुए थे और या सभा के सामान्य उद्देश्य पर विचार किए बिना निष्क्रिय जिज्ञासा का मामला था। इसी संदर्भ में बालादीन के मामले में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं; अन्यथा, कानून में, यह कहना सही नहीं होगा कि किसी व्यक्ति को विधि विरुद्ध सभा का सदस्य ठहराए जाने से पहले, यह दिखाया जाना चाहिए कि उसने कोई अवैध प्रत्यक्ष कार्य किया है या सभा का सामान्य उद्देश्य

के तहत किसी अवैध चूक का दोषी है। वास्तव में, धारा 149 यह स्पष्ट करती है कि यदि किसी विधि विरुद्ध सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है, या उस सभा के सदस्यों को पता था कि उस सभा के अभियोजन में अपराध किए जाने की संभावना है। प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध को करने के समय, उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है, और यह जोरदार ढंग से इस सिद्धांत को सामने लाता है कि धारा 149 द्वारा निर्धारित दंड एक अर्थ में प्रतिगामी है और हमेशा इस आधार पर आगे नहीं बढ़ता कि अपराध वास्तव में विधि विरुद्ध सभा के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया है।"

27. इसे ऊपर से देखा जा सकता है, धारा 141, 146 और 148 अलग-अलग अपराध बनाते हैं। धारा 149 केवल परोक्ष दायित्व उत्पन्न करती है। हालाँकि, धारा 146, 148 और 149 में परोक्ष दायित्व के सिद्धांत पर आधारित कुछ विधायी घोषणाएँ शामिल हैं। यह सिद्धांत नागरिक कानून में विशेष रूप से टॉर्ट्स की शाखा में अच्छी तरह से जाना जाता है, लेकिन इसे आपराधिक कानून में बहुत कम ही लागू किया जाता है जब स्पष्ट विधायी आदेश होता है। किसी भी प्रावधान के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होने के लिए, मूलभूत आवश्यकता एक विधि विरुद्ध सभा का अस्तित्व है, जैसा कि धारा 141 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसे आईपीसी की धारा 143 के तहत दंडनीय बनाया गया है।

28. विधि विरुद्ध सभा की अवधारणा, जैसा कि धारा 141 से देखा जा सकता है, में दो तत्व हैं;

(i) सभा में कम से कम पाँच व्यक्ति होने चाहिए; और

(ii) उनके पास अपराध करने या उसमें बताए गए उद्देश्यों में से किसी एक को हासिल करने का एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए।

29. यह निष्कर्ष दर्ज करने के लिए कि कोई व्यक्ति (i) धारा 143, 146 या 148 के तहत किसी एक अपराध का दोषी है या (ii) किसी अन्य अपराध के लिए धारा 149 के तहत परोक्ष रूप से उत्तरदायी है, पहले यह साबित करना होगा कि ऐसा व्यक्ति से मिलकर बनी एक 'विधि विरुद्ध सभा' का सदस्य है जो पांच से कम व्यक्ति नहीं है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि पांच व्यक्तियों में से प्रत्येक की पहचान साबित हुई है या नहीं। यदि यह तथ्य साबित हो जाता है, तो जांच का अगला चरण यह है कि क्या विधि विरुद्ध सभा का सामान्य उद्देश्य आईपीसी की धारा 141 के तहत निर्दिष्ट 5 वस्तुओं में से एक है।

30. सभा का सामान्य उद्देश्य आम तौर पर प्रत्येक मामले की परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए जैसे कि सभा की सभा का समय और स्थान, व्यक्तिगत सदस्यों के आचरण से अलग सभा का आचरण सभा का सामान्य उद्देश्य का सूचक है। हमारी राय में, किसी सभा के

सामान्य उद्देश्य का आकलन केवल सभा के ऐसे व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा किए गए प्रकट कृत्यों के आधार पर करना अनुचित है। उदाहरण के लिए, यदि पांच से अधिक लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और किसी अन्य व्यक्ति पर घातक हथियारों से हमला करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि ऐसी सभा के एक या कुछ सदस्यों ने उन लोगों के साथ साझा उद्देश्य साझा नहीं किया था। घातक चोटें पहुंचाई थीं (जैसा कि चिकित्सा साक्ष्य से साबित हुआ); केवल इस आधार पर कि ऐसे सदस्यों द्वारा पहुँचाई गई चोटें अपेक्षाकृत कम गंभीर और गैर-घातक हैं।

31. धारा 149 के तहत किसी विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों पर दायित्व थोपने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि विधि विरुद्ध सभा का प्रत्येक सदस्य सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में अपराध करे। सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे अपराध किए जाने की संभावना का ज्ञान ही पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, यदि पांच या अधिक सदस्य एके 47 राइफलें लेकर सामूहिक रूप से किसी पीड़ित पर हमला करते हैं और बंदूक की गोली से उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं, तो तथ्य यह है कि विधानसभा के एक या दो सदस्यों ने वास्तव में अपने हथियारों से गोलीबारी नहीं की, इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस तथ्य का ज्ञान हो कि हत्या का अपराध घटित होने की संभावना है।

32. सामान्य उद्देश्य की पहचान के लिए अनिवार्य रूप से विधि विरुद्ध सभा के सदस्यों की मनःस्थिति का आकलन आवश्यक है। ऐसी मानसिक स्थिति का प्रमाण सामान्यतः अनुमानात्मक तर्क द्वारा स्थापित किया जाता है। यदि रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में लोग कुल्हाड़ियों और आग्नेयास्त्रों जैसे घातक हथियारों से लैस होकर सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होते हैं और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर हमला करते हैं, तो हमलावर समूह का कोई भी सदस्य बुद्धि में मूर्ख होगा जिसे नहीं पता था कि हत्या का संभावित परिणाम होगा।

33. सत्र न्यायालय का तात्पर्य 'मुद्दों' को तय करना था - जो सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत वैधानिक रूप से अनिवार्य एक प्रथा है और मुकदमे के निर्णय की सामग्री भी है। लेकिन, हमें बताया गया है कि गुजरात राज्य में आपराधिक मामले की सुनवाई में भी "मुद्दे" तय करने की प्रथा प्रचलित है। जो भी हो, जाहिर तौर पर 'मुद्दे' और 'आरोप' समान नहीं हैं। मुकदमा शुरू होने से पहले उन्हें फंसाया नहीं जाता। निर्णय लिखने के समय ही उनकी 'पहचान' की जाती है।

34. सत्र न्यायाधीश द्वारा तय किए गए मुद्दा संख्या 2 और 4 आईपीसी के तहत विधि विरुद्ध सभा, दंगा और पारस्परिक दायित्व के अपराध के संबंध में हैं। अंक क्रमांक 2 एवं 4 इस प्रकार हैं:-

"(2) क्या अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि, आरोपी और शिकायतकर्ता पक्ष के व्यक्ति नाना अंकडिया, तालुका अमरेली के कड़वा और लेउवा पटेल हैं, और उनके बीच दुश्मनी के

कारण 11/7/92 को लगभग 22 बजे -15 रात को नाना अंकाडिया गांव के बस स्टैंड के पास, सार्वजनिक स्थान पर भीखाभाई की दुकान के पास इस मामले के सभी आरोपी और फरार आरोपी चंदूभाई वल्लभभाई और वल्लभभाई खोदाभाई, इस प्रकार इन सभी ने एक अवैध सभा का गठन किया था और आम सहमति से नाना अंकाडिया गांव के लेउवा पटेलों की हत्या करने का इरादा, हत्या का प्रयास, और उक्त समय और स्थान पर, इन सभी आरोपियों और फरार आरोपियों ने अपने सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के इरादे से, दंगा किया और धारा 143, 147 के तहत दंडनीय आपराधिक अपराध किया।?

(4) क्या अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सक्षम है कि, आरोपियों ने अपनी अवैध सभा के सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अपने साथ लाए हथियारों का इस्तेमाल किया और छगनभाई प्रेमजीभाई पटेल, मधुभाई मोहनभाई पटेल और प्रागजीहाई परबतभाई पटेल पर हमला किया और गोलीबारी की। उन्हें और इस तरह के कृत्य से वे अच्छी तरह से जानते थे कि वे निश्चित रूप से मारे जाएंगे और इसके बावजूद जानबूझकर और हत्या के इरादे से, गंभीर चोटें पहुंचाईं और तीनों व्यक्तियों पर हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई, उक्त कृत्य अभियुक्त नं 2,4,5 और 9 द्वारा लाठी का उपयोग किया, और आरोपी नंबर 10, 12 ने तलवार का उपयोग किया, और आरोपी नंबर 1, 3 और 6 ने अपने धारिया का उपयोग किया, तीनों मृतकों को चोट पहुंचाई और हत्या कर दी, और इस प्रकार आरोपियों ने आईपीसी की धारा 302, 149 और 114 के तहत दंडनीय अपराध और आपराधिक कृत्य किया है"

[जोर दिया गया]

35. अंक संख्या 2 मुकदमा चलाने वाले सभी अभियुक्तों का संदर्भ देता है जो फरार आरोपियों के साथ (बाद में सत्र में मुकदमा वाद संख्या 58चलाया गया) विधि विरुद्ध जमावड़े और दंगे के अपराधों के संदर्भ में था। मुद्दा संख्या 4 आईपीसी की धारा 149 के साथ पढ़ी गई धारा 302 के तहत अपराधों के संदर्भ में "सभी आरोपियों" का संदर्भ नहीं देता है। लेकिन विधि विरुद्ध (स्पष्ट रूप से विद्वान न्यायाधीश का मतलब विधि विरुद्ध) सभा के संदर्भ में हम मानते हैं कि सत्र न्यायालय का इरादा तीन पीड़ितों की मौत के संदर्भ में सभी आरोपियों की धारा 149 के तहत प्रतिवर्ती दायित्व की जांच करना था। चूंकि अभियोजन पक्ष ने धारा 149 का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह निर्दिष्ट करते हुए आरोप तय किए जाने चाहिए थे कि धारा 149 की सहायता से किस आरोपी को किस अपराध के लिए दंडित किया जाना है।

36. सत्र न्यायालय के फैसले से, हमें कोई स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज नहीं दिखता है (i) विधि विरुद्ध सभा के अस्तित्व के बारे में, (ii) यदि यह अस्तित्व में था, तो विधि विरुद्ध सभा में कितने (सदस्यों की संख्या) मौजूद थे । यह याद रखना चाहिए कि आरोप यह है कि सभी 17 आरोपी विधि विरुद्ध सभा के सदस्य थे। आईपीसी की धारा 143 के तहत अपराध घटित करने का आरोप प्रतीत होता है। इस बात का कोई पता नहीं चल पाया है कि सभा में 17 सदस्य थे या उससे कम (संख्या में) और 17 आरोपियों में से कौन सभा में मौजूद थे (पहचान) न ही सभा के

सामान्य उद्देश्य के संबंध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष है। परिणामस्वरूप, सत्र न्यायालय द्वारा कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया गया है कि क्या धारा 143 के तहत दंडनीय विधि विरुद्ध सभा का अपराध सभी या कुछ आरोपियों द्वारा किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने 4 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 148 के तहत सजा दर्ज की। तार्किक रूप से यह मानना चाहिए कि निचली अदालत की राय थी कि वहां विधि विरुद्ध जमावड़ा था। यानी हमले में 5 से ज्यादा लोग शामिल थे। ऐसे मामले में तर्क के तौर पर मान भी लिया जाए कि अभियुक्तों (चार दोषियों के अलावा) की पहचान उचित संदेह से परे साबित नहीं होती है, ए-1 और ए-5 जिन्हें धारा 148 के तहत अपराध का दोषी पाया गया था तो आम तौर पर ए-10 और ए-12 के साथ हत्या के अपराध का परोक्ष रूप से दोषी पाया जाना चाहिए (बशर्ते कि वे आरोपों के अनुचित निर्धारण से पूर्वाग्रहग्रस्त न हों)। रिकॉर्ड बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या अभियुक्तों को बताया गया था कि उन्हें विधि विरुद्ध सभा के सदस्य होने के आरोप का सामना करना पड़ेगा, जिसका सामान्य उद्देश्य तीन मृतकों की हत्या करना था।

37. ए-10 और ए-12 की दोषसिद्धि पर आते हुए, मात्र कथन से सेशन कोर्ट के फैसले में दो आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया, यह ऐसे मामले में कानून की आवश्यकता के लिए कम हो जाता है जहां गतिविधि में एक से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो। समान रूप से अन्य दो आरोपी जिन्हें पहले उल्लेखित अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, वे उस अपराध का विवरण जानने के हकदार हैं जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया है।

38. अब हम उच्च न्यायालय के फैसले की जांच करेंगे। उच्च न्यायालय आरोप तय करने में खामियों पर ध्यान देने में पूरी तरह विफल रहा।

उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 19 में निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष के गवाह भरोसेमंद हैं और उन्होंने घटना देखी थी। हालाँकि, पैराग्राफ 2017 में, उच्च न्यायालय ने दर्ज किया कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका, उनके द्वारा ले जाए गए हथियारों आदि के संबंध में अ.सा. के साक्ष्यों में विसंगतियां हैं। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि सत्र न्यायालय संदेह का लाभ देते हुए 11 आरोपियों को बरी कर दिया। हमारे लिए, यह बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या सत्र न्यायालय ने विधि विरुद्ध सभा में 11 अभियुक्तों की उपस्थिति पर संदेह किया था या सत्र न्यायालय ने अपेक्षित संख्या के सबूत की कमी के कारण "विधि विरुद्ध सभा' के अस्तित्व पर संदेह किया था विधि विरुद्ध सभा का गठन करने या सामान्य उद्देश्य के सबूत की कमी के कारण सभा को विधि विरुद्ध सभा बनाने का आरोप लगाया गया (भले ही अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि लेनदेन में 5 से अधिक लोगों ने भाग लिया था)। उच्च न्यायालय ने तुरंत एक निष्कर्ष निकाला कि सत्र न्यायालय ने विधि विरुद्ध जमावड़े के अस्तित्व के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले पर विश्वास नहीं किया, हमारी राय में, धारा 149 के तहत अभियुक्तों की पारस्परिक देनदारी के मुकाबले अभियोजन पक्ष के मामले का विश्लेषण करने का यह एक बहुत ही असंतोषजनक तरीका है।

उच्च न्यायालय ने 4 अभियुक्तों = (ए-2, ए-4, ए-9 और ए-15) के संदर्भ में एक निष्कर्ष दर्ज किया, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार लाठी लेकर चलने के आरोपित थे। इसे तीन आधारों पर साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है: (i) कि उनके नाम एफआईआर में नहीं पाए गए थे (ii) कि विभिन्न चरणों में पीडब्ल्यू के साक्ष्य में सुधार हुए थे चारों अभियुक्तों की उपस्थिति के संबंध में और (iii) चिकित्सा साक्ष्य किसी भी चोट का खुलासा नहीं करता है जिसका कारण लाठियों से पिटाई हो सकती है। हमारी राय में, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए पहले दो कारण कानूनी रूप से मान्य हैं, हालाँकि, तीसरा कारण, यानि छड़ी से लगी चोटों की अनुपस्थिति के कारण जरूरी नहीं कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि आरोपी विधि विरुद्ध सभा में मौजूद नहीं थे। लेकिन ऐसी चोटों की अनुपस्थिति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अप्रासंगिक विचार नहीं कहा जा सकता है कि क्या चारों आरोपियों ने ऊपर उल्लिखित अन्य दो कारकों की पृष्ठभूमि में विधि विरुद्ध सभा में भाग लिया था। लेकिन सत्र न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ दिए गए सात अन्य आरोपियों के संबंध में इसी तरह के विश्लेषण का उच्च न्यायालय के फैसले में अभाव है।

मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कम से कम एक आरोपी (ए-7) लेनदेन में घायल हुआ प्रतीत होता है और उच्च न्यायालय के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि उस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दलील दी गई कि अपराध को छिपाने के लिए रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। मामले के इस पहलू पर न तो ट्रायल कोर्ट ने और न ही हाई कोर्ट ने विचार किया है। वास्तव में, ट्रायल कोर्ट के फैसले में मामले के इस पहलू के बारे में अधिक विवरण शामिल हैं लेकिन कोई निर्णायक निष्कर्ष दर्ज किए बिना।

39. सवाल यह है कि क्या यह अदालत इस आधार पर मामले में बरी करने के फैसले को उलटने में उचित होगी कि (i) आरोप तय करना बेहद गलत है और सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं है; या (ii) नीचे की अदालतें उन विभिन्न अपराधों के संबंध में उचित निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि आरोपियों ने अपराध किया था; या (iii) ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए दोषमुक्ति के फैसले को पलटने से इनकार करने में अपीलीय अदालत का तर्क दोषपूर्ण है? प्रश्न का उत्तर, हमारी राय में, नकारात्मक होना चाहिए।

40. ए-16 एवं ए-17 के विरूद्ध सत्र वाद संख्या 58/98 में स्वतंत्र रूप से कोई साक्ष्य दर्ज नहीं किया गया। वहीं, सत्र वाद संख्या 118/1992 में दर्ज साक्ष्य को सत्र वाद संख्या 58/1998 में साक्ष्य के रूप में अंकित किया गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, धारा 33 में उल्लिखित असाधारण स्थितियों को छोड़कर किसी भी तथ्य को साबित करने के ऐसे तरीके की अनुमति नहीं देता है।

41. सत्र न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की पुष्टि करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। उस एक आधार पर, सत्र वाद संख्या 58/98 का संपूर्ण मुकदमा दूषित है और कानून

द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं है। यह अलग बात है कि सत्र वाद संख्या 58/98 में सुनवाई के लिए रखे गए दोनों आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बरी कर दिया था और हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया था।

42. अपीलकर्ता की शिकायत है कि अपराध की गंभीरता और 5 घायल गवाहों के साक्ष्य के बावजूद, अधिकांश आरोपी बिना किसी सजा के बिना छूट गए, इसलिए यह अपील की गई है।

हम अपीलकर्ता की शिकायत को समझते हैं। न्यायमूर्ति वी.आर.कृष्णा अय्यर के निम्नलिखित भविष्यसूचक शब्द: इस देश की हर आपराधिक अदालत की दीवारों पर अंकित होने लायक है:

"6. पोषित सिद्धांत या उचित संदेह से परे सबूत का सुनहरा धागा जो हमारे कानून के जाल के माध्यम से चलता है को हर आशंका, झिझक और संदेह की डिग्री को गले लगाने के लिए इतना लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण में अत्यधिक आग्रहशीलता झलकती है कि एक हजार दोषी लोग जा सकते हैं लेकिन एक निर्दोष शहीद को पीड़ा नहीं होगी, यह एक गलत दुविधा है। केवल उचित संदेह ही अभियुक्त का है। अन्यथा न्याय की कोई भी व्यावहारिक प्रणाली टूट जाएगी और समुदाय के बीच विश्वसनीयता खो देगी। एक विद्वान लेखक के रूप में हल्के दिल से किसी दोषी व्यक्ति को बरी करने की बुराई ['प्रूफ ऑफ गिल्ट' में ग्लेनविले विलियम्स।] ने बड़े ही समझदारी से अवलोकन किया है, यह इस साधारण तथ्य से कहीं आगे है कि सिर्फ एक दोषी व्यक्ति को सजा नहीं मिली है। यदि अयोग्य बरी होना सामान्य हो जाता है, तो वे कानून की निंदनीय अवहेलना की ओर ले जाते हैं, और इसके परिणामस्वरूप दोषी पाए गए "व्यक्तियों" के खिलाफ कठोर कानूनी धारणाओं और दोषी पाए जाने वालों को अधिक कठोर सजा देने की सार्वजनिक मांग होती है। इस प्रकार, दोषियों को बार-बार बरी किए जाने से क्रूर दंडात्मक कानून बन सकता है, जो अंततः दोषरहित लोगों की न्यायिक सुरक्षा को खत्म कर सकता है। ..."

(जोर दिया गया)

भविष्यवाणी तब सच हुई जब टाडा अधिनियम, 1987 की धारा 21 ने आरोपी पर अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ डाला, और जब संसद ने धारा 376 आईपीसी आदि के तहत बलात्कार के अपराध के दोषी पाए गए व्यक्तियों को अधिक से अधिक कठोर दंड देने के लिए सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी।

43. उपरोक्त सभी कारणों से, हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए था कि पीड़ितों के दृष्टिकोण से या यहां तक कि दोषी अभियुक्तों के दृष्टिकोण से देखे गए मामले में न्याय की विफलता है। इसके बाद सबसे सामान्य परिणाम नए सिरे से सुनवाई का आदेश देना चाहिए था, लेकिन हमारी राय में, अपराध की घटना के 26 साल बीत जाने के बाद इस तरह की कार्रवाई किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगी, क्योंकि जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है।

अभियुक्तों की इस अवधि में मृत्यु हो गई है। हम इस समय गवाहों की उपलब्धता के बारे में निश्चित नहीं हैं। भले ही सभी गवाह उपलब्ध हों, एक चौथाई सदी के बाद उनके साक्ष्य दर्ज करना और अभियुक्तों की दोषीता के संबंध में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसी पर भरोसा करना कितना सुरक्षित होगा?

44. हमारी राय है कि इस न्यायालय के लिए उपलब्ध कार्रवाई का एकमात्र तरीका यह है कि इस मामले में अपराध के पीड़ितों को इस न्यायालय द्वारा नीलाबती बेहरा के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में सार्वजनिक कानून क्षति के पंचाट से मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। । इन परिस्थितियों में, हमारी राय है कि राज्य द्वारा प्रत्येक मृतक के परिवार को 25,00,000/- रुपये (केवल पच्चीस लाख रुपये) और घायल गवाहों को, यदि अभी भी जीवित हैं, अन्यथा उनके परिवारों को प्रत्येक को 10,00,000/- रुपये (केवल दस लाख रुपये) की राशि का भुगतान करना होगा। उक्त राशि आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर ट्रायल कोर्ट में जमा की जाएगी, और ऐसी जमा राशि पर सत्र न्यायाधीश द्वारा जांच के बाद और दावेदारों के हक की वास्तविकता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के बाद उक्त राशि वितरित की जाएगी।

45. यह मामला, हमारी राय में, इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे राज्य आपराधिक कानून को लागू करने में अपनी अप्रभावीता के कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्राथमिक संवैधानिक जिम्मेदारी में विफल रहा। हमारी राय में, ऐसी विफलता के कई कारण हैं। उनमें से कुछ हैं - (i) आपराधिक जांच प्रणाली में अक्षमता या उचित प्रशिक्षण की कमी से उत्पन्न होने वाली अक्षमता; (ii) अपराध की जांच में भ्रष्टाचार या राजनीतिक हस्तक्षेप; (iii) आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन की विफलता में योगदान देने वाली जांच एजेंसियों को सही ढंग से सलाह देने और मार्गदर्शन करने में सरकारी अभियोजकों की दक्षता के वांछनीय स्तर से कम; और (iv) बार और न्यायपालिका के सदस्यों (बार की एक शाखा) के अपर्याप्त दक्षता स्तर ने आपराधिक न्याय प्रणाली के वितरण में दक्षता में समग्र गिरावट में योगदान दिया।

समय के साथ पूरे देश में लोक अभियोजकों की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत सारे अप्रासंगिक और अनुचित विचार आ गए हैं। यदि ऐसे मामले में जहां तीन लोग मारे गए थे और पांच से अधिक लोग घायल हो गए थे, यदि कानून के आदेश के अनुसार आरोप तय नहीं किए गए हैं, तो दोष पूरी तरह से बार और बेंच दोनों को लेना चाहिए। इस मामले में रिकॉर्ड की एक और परेशान करने वाली बात यह है कि बचाव पक्ष द्वारा गवाहों से भारी मात्रा में जिरह की जाती है, जो ज्यादातर अनावश्यक है।

46. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

आदेश

रिकॉर्ड पर आ रही स्थिति को देखते हुए, हमने इस न्यायालय की सहायता के लिए विद्वान वकील श्री एस.नागुमुथु और सुश्री तरन्नुम चीमा की सहायता मांगना उचित समझा। हम न्याय मित्र के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सहायता को रिकॉर्ड में रखते हैं।

हम अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित बार के एक युवा सदस्य, विद्वान वकील, श्री ए. सेल्विन राजा द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करना भी उचित समझते हैं।

अपीलें निस्तारित।

Rang Nath Tripathi